संख्या-39/2015/वे0आ0-2-675/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2015**

विषय- राजकीय विभागों के शिक्षकों को राजकीय कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के शिक्षकों को राजकीय कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 18 जून, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 18 जून, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-39/2015/वे0आ0-2-675(1)/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 18 जून, 2015 का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य
(2) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य
(3) श्री जीतेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग — सदस्य
(4) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग — सदस्य सचिव

2— राजकीय शिक्षक संघ की मॉग पर प्रशासकीय विभाग द्वारा राजकीय विद्यालय के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने विषयक प्रस्ताव को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रशासकीय विभाग द्वारा राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने के पक्ष में निम्नलिखित तथ्यों से समिति को अवगत कराया गया :—

(1) वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षकों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को एक समान वेतनमान/समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षकों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वर्तमान में निम्नानुसार वेतनमान एवं समयमान वेतनमान अनुमन्य है :—

क0 सं0	अध्यापक की श्रेणी	शैक्षिक अर्हता	साधारण वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर चयन वेतनमान	चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एल0टी0 ग्रेड शिक्षक	प्रशिक्षित स्नातक	एल0टी0 ग्रेड शिक्षक ग्रेड–3 वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–	एल0टी0 ग्रेड शिक्षक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–	एल0टी0 ग्रेड शिक्षक ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–*
2	प्रवक्ता ग्रेड–3	स्नातकोत्तर	प्रवक्ता ग्रेड–3 वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–	प्रवक्ता ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–	प्रवक्ता ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/–
3	प्रधानाध्यापक हाईस्कूल	—	प्रधानाध्यापक ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–	प्रधानाध्यापक ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/–	लागू नहीं।

4	प्रधानाचार्य 50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत पदोन्नति	प्रशिक्षित स्नातकोत्तर	वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/–	लागू नहीं।	लागू नहीं।

* पदोन्नति वेतनमान केवल उन्हीं एल0टी0ग्रेड शिक्षकों को देय है जो स्नातकोत्तर की उपाधि धारित करते हैं।

(2) राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने की मॉग निम्नलिखित आधारों पर की गयी बतायी जा रही है :—

(क) पालीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 के शिक्षकों को ए0सी0पी0 की सुविधा अनुमन्य है।

(ख) राजकीय शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षण के साथ–साथ प्रशिक्षण संस्थानों, सी0टी0 ट्रेनिंग कालेज, एल0टी0 ट्रेनिंग कालेज, डायट तथा सी0टी0ई0 आदि में होती है, जहॉ सत्रान्त एवं ग्रीष्मावकाश नहीं मिलता है। ग्रीष्म अवकाश के स्थान पर राज्य कर्मियों की भॉति वर्ष में 31 दिन की अर्नलीव मिलती है।

(ग) राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति 300 दिन का उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य है। इसलिए राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 की सुविधा अनुमन्य की जाये।

(घ) राजकीय शिक्षकों की श्रेणी–2 के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति होती है। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य को ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त है। इसलिए राजकीय शिक्षकों को भी ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान की जाये।

(3) विभागीय प्रस्ताव के अनुसार राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने पर उन्हें 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन, 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता बनेगी। विभागीय प्रस्ताव के कम में यह उल्लेखनीय है कि राज्य के शिक्षकों को केन्द्र सरकार से समकक्षता के आधार पर 01 जनवरी, 1996 से काल्पनिक एवं 01 जुलाई, 2001 से केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान वेतनमान अनुमन्य किये गये। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी राज्य के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान वेतनमान अनुमन्य किया गया है और समयमान वेतनमान का लाभ भी पूर्व की भॉति 10 वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान एवं चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि राज्य के शिक्षकों को केन्द्र सरकार से समकक्षता के आधार पर वेतनमान एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। केन्द्र सरकार में शिक्षकों को ए0सी0पी0 का लाभ नहीं दिया गया है

अपितु उन्हें निर्धारित सेवावधि पर समयमान वेतनमान दिया गया है। केन्द्र सरकार के शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ 12 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य है जबकि राज्य में इसे 10 वर्ष की सेवा पर ही दिया गया है। इस प्रकार राज्य में समयमान वेतनमान की व्यवस्था केन्द्र सरकार की व्यवस्था से अधिक आकर्षक है।

(4) विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार के शिक्षकों को भी ए0सी0पी0 की सुविधा का लाभ देय नहीं है। केन्द्र सरकार के शिक्षकों को निर्धारित सेवावधि पर क्रमशः ग्रेड–2 एवं ग्रेड–1 का वेतनमान देय है और तद्नुसार ही राज्य के शिक्षकों को उक्त वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

3– *समिति की संवीक्षा –*

प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी :—

(1) प्रदेश के शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य विभागों जैसेः– समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, कारागार विभाग, सिंचाई विभाग द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दिनांक 01 जनवरी, 1986 से वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने का दायित्व समता समिति (1988) को सौंपा गया था। प्रदेश की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति देने हेतु एक अन्य समिति वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन भी किया गया था। समता समिति (1988) में प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति की गई थी। उक्त संस्तुति के प्रस्तर–11.6 में निम्नवत् संस्तुतियॉ की गई थी :—

"शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–1–3761/दस–84(एम)–88, दिनांक 15 नवम्बर, 1988 द्वारा गठित वेतन पुनरीक्षण समिति से यह अपेक्षा की गई है कि वह पुनरीक्षित वेतनमान संस्तुत करते समय विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के लिए साधारण एवं सलेक्शन ग्रेड में उपरोक्त संकल्प में इंगित प्रारम्भिक वेतन दें। इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षा की गई है कि ऐसे शिक्षकों के लिए जो सलेक्शन ग्रेड के अधिकतम पर पहुच गए हैं, उन्हें प्रोन्नति का वेतनमान भी दिया जाय। जैसा की पहले भी इंगित किया गया है कि, समता समिति इस मत से सहमत है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों से किसी दशा में कम नहीं होने चाहिए। अतः समता समिति की संस्तुति है कि शासन द्वारा राजकीय शिक्षकों से सम्बन्धित वेतनमानों पर निर्णय लेते समय "वेतन पुनरीक्षण समिति" की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के बारे में प्रारम्भिक वेतन, सलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नति वेतनमान सम्बन्धी संस्तुतियों को ध्यान में रखा जाय।"

(2) वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियॉं प्राप्त होने पर उनमें संस्तुत वेतनमान समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान से अधिक आकर्षक होने के कारण राजकीय विभागों के शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियों के वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू किये गए। दिनांक 01 जनवरी, 1986 से राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को एक समान वेतनमान/समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों तथा 01 जुलाई, 2001 से केन्द्र से समकक्षता के आधार पर लागू वेतनमानों में भी राजकीय शिक्षकों को सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के समान वेतनमान/समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य है।

(3) पालीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 के शिक्षकों को प्रारम्भ से ही राज्य कर्मचारियों की भॉंति समयमान वेतनमान का लाभ देय था। राज्य कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के स्थान पर ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया है, अतः राज्य कर्मचारियों की भॉंति पालीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 के शिक्षकों को भी ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया है। शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतनमान पॉंचवें एवं छठवें वेतन आयोग में कुल मिलाकर दो बार उच्चीकृत हुए हैं जबकि पालीटेक्निक एवं आई0टी0 आई0 के शिक्षकों का वेतनमान उच्चीकृत नहीं हुआ है।

(4) राजकीय शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षण के साथ–साथ प्रशिक्षण संस्थानों, सी0टी0 ट्रेनिंग कालेज, एल0टी0 ट्रेनिंग कालेज, डायट तथा सी0टी0ई0 आदि में होती है, जहॉं सत्रान्त एवं ग्रीष्मावकाश नहीं मिलता है। ग्रीष्म अवकाश के स्थान पर राज्य कर्मियों की भॉंति वर्ष में 31 दिन की अर्नलीव/300 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण अनुमन्य होने के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि अर्नलीव का लाभ मिलने/अवकाश नकदीकरण मिलने के आधार पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था स्वीकृत करने का आधार नहीं बनता है। चूँकि राज्य के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शिक्षकों की भॉंति वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है, अतः केन्द्र सरकार की व्यवस्था से हटकर तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को अनुमन्य व्यवस्था से हटकर राजकीय शिक्षकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

(5) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को भी राजकीय शिक्षकों की भॉंति वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन तथा समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य है। यदि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को केन्द्र सरकार से समकक्षता को भंग कर राज्य कर्मियों की भॉंति ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाता है तो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा भी उसी प्रकार की मॉंग की जायेगी। यही नहीं राजकीय शिक्षकों की भॉंति ही समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग,

तथा कारागार विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं के राजकीय शिक्षकों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा भी राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 की मॉग की जायेगी, जिसे नकार पाना कठिन होगा।

(6) राजकीय शिक्षकों की श्रेणी–2 के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति होती है। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य को ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त है। इसलिए राजकीय शिक्षकों को भी ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान की जाये। राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य को अनुमन्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/– का लाभ कतिपय तकनीकी कारणों से अभी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है और वे वर्तमान में वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– में ही बने हुए हैं। इस कारण उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ राज्य कर्मचारियों की भॉति मिल रहा है। प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति को यह बताया गया कि विभाग द्वारा राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यो का संवर्ग पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है और पुनर्गठन के उपरान्त राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यो को भी सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के प्रधानचार्यो की भॉति वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य हो जायेगा। राजकीय शिक्षकों को सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों की भॉति उच्च ग्रेड वेतन/समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, अतः राजकीय शिक्षकों को अनुमन्य समयमान वेतनमान की व्यवस्था से हटकर ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने का आधार समिति नहीं पाती है।

4– <u>समिति की संस्तुतियॉ</u>

बैठक में हुए विचार–विमर्श के क्रम में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियॉ निम्नवत् हैं :—

"शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भॉति ए0सी0पी0 दिये जाने का औचित्य समिति नहीं पाती है। राजकीय शिक्षकों के लिए समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जाये।"

(राहुल भटनागर) प्रमुख सचिव, वित्त।	(राजीव कुमार) प्रमुख सचिव, कार्मिक।	(जीतेन्द्र कुमार) प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।	(अजय अग्रवाल) सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।